JALAUN POLICE

दिनांक – 09.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कॉन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्त को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15,000-15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण–

प्रकरण– अभियुक्त सोनू, विवेक पुत्रगण जसवन्त, जसवन्त पुत्र राधेलाल नि0गण ग्राम खनुआ कोत0 जालौन जनपद जालौन द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी व उसके परिजनों के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज करना व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर दिनांक 04.10.2020 को कोत0 जालौन में मु0अ0सं0 466/2020(वाद संख्या 26/2021) धारा- 452/323/504/506 भादवि व 3(1)द(ध) एससी/एसटी एक्ट बनाम सोनू, विवेक पुत्रगण जसवन्त, जसवन्त पुत्र राधेलाल नि0गण ग्राम खनुआ कोत0 जालौन जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 03.12.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 09.07.2025 को मान0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15,000-15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।